राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमाकः– ई--12 / एम / 93 / 2019 / दिनांक.–

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख (वर्ष 2019–20) अंकित परीक्षा मे स्वयपाठी के रूप मे सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है –

क्र स.	कर्मचारी का नाम व पद	परीक्षा का नाम	बोर्ड / सस्था का नाम जिससे परीक्षा दी जानी है।	पदस्थापन स्थान
1	श्री दिनेश सैनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10वी	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर	निदेशालय मुख्यालय
2	श्री महेश चन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	आर.एस सी आई टी	वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा	निदेशालय मुख्यालय
3.	भूपेन्द्र कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	आर.एस सी आई.टी.	वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा	निदेशालय मुख्यालय
4	जीतू धानका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10वी	एन.आई ओ एस	उप अधीक्षक, एस आर ओयल राजकीय चिकित्सालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

1 शिक्षण संस्थान मे अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वत ही समाप्त मानी जायेगी।
2 राजसवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति सस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वत ही समाप्त हो जायेगी।
3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5 जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरतर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7 अध्ययन से राज्यसेवक दैनिक राजकीय कार्य सपादन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त करदी जायेगी।
8 अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10 प्रशासनिक कारणो से लोकहित / राज्य हित मे यह स्वीकृति / अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।
12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा ।
14 राज्य सेवा मे कोई व्यवधान ना हो ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक – ई–12 / एम / 93 / 2019 / 483 दिनाक 23/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सम्बधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. सबधित कर्मचारीगण।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.न. 302, मुख्यालय ।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर